न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 24/2020(2020/00325)

अनवान : –

लिलावती पत्नी लिखमाराम जाति कामडिया निवासी भादरा तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. घीसाराम पुत्र मेघाराम जाति रेगर निवासी बिहारीपुराबास भादरा तहसील भादरा।
2. मोहनलाल पुत्र खेताराम जाति रेगर निवासी बिहारीपुराबास भादरा तहसील भादरा।
3. एसबीबीजे (एसबीआई) शाखा भादरा।
4. आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विरेन्द्र जाखड़ प्रार्थी

आदेश दिनांक: 18/11/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 केआरपी के खाता सं 110/99 के मु0न0 36 के किला न0 8/3, 9/1, 10/1, 11, 12, 13, 18 ता 23 कुल किता 12 की कुल 2.216 हैक्टेयर नहरी खातेदारी प्रार्थीया लिलावती के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया के चिपते ही अप्रार्थी मोहनलाल के नाम रोही मौजा चक 1 केआरपी के खाता संख्या संख्या 91/84 के मु0 न0 36 के किला न0 6/1, 7/1, 8/1, 13/1, 14 ता 17, 18/1, 23/1, 24, 25 कुल किता 12 की कुल 2.214 हैक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थी मोहनलाल के चिपते ही अप्रार्थी घीसाराम के नाम रोही मौजा चक 38/36 के मु0 न0 34 के किला न0 16 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 36 के किला न0 3 ता 8 इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 2.211 हैक्टेयर नहरी मय खाला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी पहले संयुक्त खातेदारी हुआ करती थी। जिसका बाद में खाता तक्शी हो गया था जिसमें प्रार्थीया के हिस्सा में आवागमन के लिये रास्ता का कोई अंकन नही किया गया था, परन्तु प्रार्थीया विभाजन के समय से ही अप्रार्थी घीसाराम के नाम चक 1 केआरपी के मु0 न0 34 के किला न0 25 में दक्षिणी पूर्वी कोना से 8–1/4 गुणा 8–1/4 फीट में से होकर मु0 न0 36 के किला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

न0 5 व 6 में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण होते हुए अप्रार्थी मोहनलाल की चक 1 केआरपी के मु0 न0 36 के किला न0 6/1, 7/1, 8/1 में उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ चलकर प्रार्थीया अपनी खातेदारी चक 1 केआरपी के मु0 न0 36 के किला नम्बर 8/3 में प्रवेश करती है। उक्त रास्ता के अलावा पहुंच हेतु अन्य कोई स्वीकृत शुदा या चालू रास्ता नही है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार भादरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई, रिपोर्ट पर सभी पक्षकारानों के हस्ताक्षर अंकित है एवं रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति जाहिर की है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आपसी राजीनामा से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया जाकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया की खातेदारी चक 1 केआरपी के मु0 न0 36 के किला न0 8/3 में प्रवेश करने के लिये **अप्रार्थी घीसाराम के नाम दर्ज चक 1 केआरपी के मु0 न0 34 के किला न0 25 में दक्षिणी पूर्वी कोना से 8–1/4 गुणा 8–1/4 फीट एवं मु0 न0 36 के किला न0 5 व 6 में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टेयर यानि 8–1/4 फीट चौड़ा रास्ता एवं अप्रार्थी मोहनलाल की चक 1 केआरपी के मु0 न0 36 के किला न0 6/1, 7/1 प्रत्येक किला में उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर 0.013 हैक्टेयर यानि 8–1/4 फीट चौडा रास्ता एवं किला न0 8/1 में उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर 0.013 हैक्टेयर रास्ता दर्ज किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें व उक्त रास्ता में जाने वाली भूमि के अनुपात में ही रास्ता की एवज में प्रार्थीया की चक 1 केआरपी के मु0 न0 36 में से प्रार्थीया लीलावती की भूमि कम की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज की जावें।** तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/11/21...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़